खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 10/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम खीमाराम

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 10/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/14

सायल :–		गैर सायल :–
जरिये सरकार भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	बनाम	खीमाराम पुत्र श्री धुलाराम जाति माली निवासी मालियो का बास देवनगर सुमेरपुर, जिला पाली (फर्म मालिक) मैसर्स विनायक कॉरपोरेशन एच–47 झाखा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 17.06.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 29.05.2023 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल दिनांक 14.12.2022 को 2.00 बजे निरीक्षण करते हुए मैसर्स विनायक कॉरपोरेशन एच–47 झाखा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली पर पहुंचा। फैक्ट्री में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम श्री खीमाराम पुत्र श्री धूलाराम जाति माली निवासी मालियो का वास देवनगर सुमेरपुर, जिला पाली फर्म मालिक होना बताया। फर्म मालिक व गवाहों की उपस्थिति में सायल द्वारा फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में 40–50 बोतल 500 एमएल फिल्टर सरसो का तेल (ब्रांड नउ दुर्गा) 500 एमएल एक कार्टुन में रखा हुआ था, जिसे खीमाराम आम जनता को विक्रय करने के लिए अपने कब्जे में रखा हुआ था।

निरीक्षण के दौरान फिल्टर सरसो का तेल (ब्रांड नउ दुर्गा) 500 एमएल में मिलावट का संदेह होने पर जांच हेतु फिल्टर सरसो का तेल (ब्रांड नउ दुर्गा) का नमूना लेने की इच्छा जाहिर कर फॉर्म नम्बर 5ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की, किन्तु कोई गवाह मौजूद नही होने से सायल के साथ आए आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा, को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाये व सायल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। फॉर्म की एक प्रति फैक्ट्री मालिक श्री खीमाराम पुत्र श्री धूलाराम को देकर यह सूचित किया किया गया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

फैक्ट्री में फिल्टर सरसो का तेल (ब्रांड नउ दुर्गा) 500 एमएल रखा हुआ था,जिसमें से 500–500 एमएल के कुल चार बोतल जांच हेतु खरीदे जिसका नकद भूगतान अक्षरे 600/– रुपये का भूगतान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 10/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम खीमाराम

जरिये रसीद के किया गया। उक्त फिल्टर सरसों का तेल (ब्रांड नउ दुर्गा) 500 एमएल को चार मूल पैकेटो में नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक नमूने पर चिपकाई। प्रत्येक नमूने को अलग-अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेट कर लपेटे गये कागज के दोनो सिरो को गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूने पर अभिहित अधिकारी एवं मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप आर- 1607 प्रत्येक नमूने पर एक एक पेपर स्लिप चिपकाई गई व प्रत्येक नमने को चार चार उपर नीचे दाये वायें चपडी लगाकर ब्रॉस सील से सीलबंद किया गया। चारो सीलबंद पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनों पर मुल्जिम व गवाहो के हस्ताक्षर रेपरिंग पेपर व पेपर स्लीप क्रॉस करते हुए करवाये व सायल द्वारा किये गये।

मौके पर ही मुल्जिम व गवाहों की उपस्थिति में सायल द्वारा मौका फर्द तैयार की गई जिसे मौके पर मूल्जिम व गवाहों की उपस्थिति में सायल द्वारा मुल्जिम व गवाहो को पढ़कर सुनाई तथा उनके द्वारा सही मानकर मंजूर किये जाने पर सायल द्वारा व मुल्जिम के हस्ताक्षर करवाये गये।

नमूना संख्या आर-1607 जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाने हेतु फॉर्म नम्बर 6 पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में उपयोग किया गया था, अंकित कर तैयार किया, जिसकी एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्रॉस सील से सील किया गया जिसका प्रयोग इन चारों नमूनों को सील वंद करने में किया गया एवं आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फॉर्म नम्बर 6 की दो प्रति रखकर खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर का पता अंकित कर ब्रॉस सील द्वारा लिफाफे को सील बंद किया। आउटर कवर सील नमूना एवं सीलवंद नमूना चन्द्रेश कुमार चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी हाजा कार्यालय दिनांक 14.12.2022 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। नमूने के शेष द्वितीय, तृतीय एवं चतूर्थ भाग मय फॉर्म नम्बर 6 की एक एक प्रति आउटर कवर में लपेटते हुए ब्रॉस सील से सील कर सील्ड अवस्था अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को 15.12.2022 को जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की।

उक्त फिल्टर सरसों का तेल (ब्रांड नउ दुर्गा) 500 एमएल का नमूना आर-1607 की जांच कर खाद्य विश्लेपक प्रयोगशाला जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट एल.एस. 2064/एक्ट/2022/2065 दिनांक 22.12.2022 अभिहित अधिकारी, मु.चि. एवं स्वा.अधिकारी पाली को भेजी जिसमें अभिहित अधिकारी मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली में नमूनें की जांच रिपोर्ट चार प्रतियों में प्राप्त कर उक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त फिल्टर सरसो का तेल (ब्रांड नउ दुर्गा) 500 एमएल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया। जांच की प्रति इण्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली को जरिये डाक से कॉरपोरेशन एच-47 झाखा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली को जरिये डाक से प्रेषित कर सूचना दी गई कि उक्त नमूने की पुनः जांच करवाना चाहते हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर-भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 10 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम खीमाराम

उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त श्री खीमाराम पुत्र श्री धूलाराम जाति माली निवासी मालियो का वास देवनगर सुमेरपुर जिला पाली फर्म मालिक मैसर्स विनायक कॉरपोरेशन एच–47 झाखा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली ने एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 52 के तहत दण्डनीय है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर प्रकरण में बहस सुनने का विनिश्चय किया गया।

अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध पूर्व में कभी भी ऐसी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई। आलोच्य खाद्य सामग्री सरसों का तेल खाद्य प्रयोगशाला में मिलावटी तथा असुरक्षित नहीं पाया गया है, अतः अप्रार्थी के विरुद्ध नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही को ड्रॉप किया जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से ज़ाहिर होता है कि दिनांक 22.12.2022 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स विनायक कॉरपोरेशन एच–47 झाखा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली में ज़ैर कार्यवाही खाद्य सामग्री (फिल्टर सरसो का तेल ब्रांड नउ दुर्गा 500 एमएल) नमूना क्रमांक आर–1607 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 में 'Misbrand' होना पाया गया। यदि अप्रार्थी खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता तो अधिनियम 2006 की दुबारा जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता था किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट को चुनौति नहीं दी गई।

इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा 'मिसब्रांडेड' खाद्य सामग्री (ब्रांड नउ दुर्गा) का उत्पादन / विक्रय / भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 49 में विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 52 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'मिसब्रांडेड' श्रेणी की खाद्य सामग्री (ब्रांड नउ दुर्गा), जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 7500/– रुपये मात्र अक्षरे सात हजार पांच सो रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 10 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम खीमाराम

(03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.10 / 2024 / 2025 /
दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner